प्रकरण संख्या–84 / 2016 तारीख रजु–26.12.2016

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी अभिमन्यु कुमार आई.ए.एस.

उनवान

1. टीकेतपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड टीकेतपुरा जरिये अध्यक्ष टीकेतुपरा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड टीकेतपुरा तहसील व जिला करौली केदार पुत्र श्योबक्स आयु 65 साल जाति गुर्जर निवासी ऊँचे का पुरा
2. सचिव टीकेतुपरा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड टीकेतपुरा तहसील व जिला करौली राज. हाकिमसिंह पुत्र श्री बाबूसिंह आयु 36 साल निवासी टीकेतपुरा

––प्रार्थी अपीलाण्ट्स

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, करौली राज. – रेस्पोडेण्ट

अपील अतंर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 प्रकरण संख्या...../2016 तारीख फैसला दिनांक 12.08.2016 कार्यालय / न्यायालय जिला रसद अधिकारी, करौली

निर्णय

दिनांक–12.11.2018

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट्स द्वारा यह अपील पेश कर निवेदन किया है कि अपीलाण्ट उक्त आदेश 1976 के अनुसार ग्राम पंचायत तुलसीपुरा तहसील करौली के 1/3 भाग के उचित मूल्य दुकानदार के लाईसेन्सधारी है। अपीलाण्ट के हक में लाईसेन्स संख्या 304 तहसील करौली वर्ष 2007 से चला आ रहा है और इतनी लम्बी अवधि में किसी प्रकार की अवैध वस्तु वितरण में अपीलाण्ट समिति द्वारा नहीं की गई है। प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2 का उल्लंघन नहीं किया गया है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट के प्राधिकार पत्र की जमाशुदा प्रतिभूति राशि में से दण्ड स्वरूप 100/– रुपये जब्त करने का आदेश दिया है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 12.08.16 पूर्णतया विधि विरुद्ध, आरबिट्रेरी और निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट द्वारा इस्तीफा नहीं दिया गया है बल्कि इस्तीफा धोखापूर्ण है और इस्तीफा जिस सचिव/व्यवस्थापक द्वारा दिया गया है उसने समिति के सचिव/व्यवस्थापक हाकिमसिंह को दिनांक 17.04.2013 को ही चार्ज संभलवा दिया गया है। इस प्रकार दिनांक 25.04.2013 को नरेश पाठक को उक्त प्राधिकार पत्र के संबंध में इस्तीफा पेश करने का अधिकार नहीं था एवं रेस्पोण्डेण्ट द्वारा इस बाबत् अपीलाण्ट को कोई सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया है ना ही साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया है और अपीलाण्ट्स को अधीनस्थ न्यायालय रेस्पोण्डेण्ट द्वारा कोई इस बाबत नोटिस भी नहीं दिया गया है ना ही विधिवत तौर पर अपीलाण्ट पर नोटिस की तामील करायी है। अपीलाण्ट्स द्वारा प्राधिकार पत्र के संबंध में इस्तीफा देने का आवेदन नहीं किया गया है। उस पर अपीलाण्ट्स को

जिला कलक्टर
करौली

कोई सुनवाई का विधि अनुसार अवसर नहीं दिया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। नरेश पाठक से 17.04.2013 को ही उस समिति का चार्ज अपीलाण्ट्स हाकिमसिंह व्यवस्थापक को दिया जा चुका है। तब दिनांक 25.04.2013 को नरेश पाठक को इस्तीफा प्रस्तुत करने का विधिक अधिकार नहीं रहा है। नरेश पाठक ने अपीलाण्ट संख्या 1 से धोखे से वेतन लेने के लिए खाली लेटर पेड लेकर फर्जकारी कर अपीलाण्ट से छिपाते हुए यह इस्तीफा कपटपूर्ण से समिति की साख खराब करने व समिति को क्षति पहुँचाने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया है जो विधि विरुद्ध है और ऐसे फर्जी इस्तीफा को स्वीकार किये जाने का आदेश रेस्पोण्डेण्ट अधीनस्थ न्यायालय विधि विरुद्ध है और निरस्त किये जाने योग्य है और पत्रावली पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट धरोहर राशि 100/–रुपये राशि जमा कराने को तैयार है। दिनांक 15.02.2016 को कोई पत्र अध्यक्ष समिति अपीलाण्ट नंबर 1 द्वारा रसद अधिकारी करौली को नहीं दिया गया है एवं दिनांक 22.04.13 को या 23.04.2013 को भी कोई इस्तीफा नहीं दिया गया। उक्त दोनों पत्र फर्जी है एवं दिनांक 23.04.13 का दर्जशुदा पत्र अध्यक्ष व सचिव के फर्जी हस्ताक्षर कर फर्जकारी कर प्रस्तुत किया गया है जबकि नरेश पाठक द्वारा उक्त पद से दिनांक 17.04.13 को ही चार्ज हाकिमसिंह सचिव को दिया जा चुका है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जानबूझकर नरेश पाठक व अध्यक्ष केदार के बयान नहीं लिये गये हैं ना ही हस्ताक्षरों की जांच की गयी है और जैर अपील निर्णय विधि विरुद्ध रूप से डीलर विक्रम गुर्जर 1/6 भाग से साज कर पारित किया गया है जो विधि विरुद्ध है और निरस्त किये जाने योग्य है। पत्र दिनांक 23.04.13 जो दिनांक 22.04.13 का मार्क है एवं पत्र दिनांक 12.02.2016 जो दिनांक 15.02.2016 का मार्क है, एक ही व्यक्ति का कलमी है जो अध्यक्ष केदार व सचिव नरेश पाठक या हाकिमसिंह का हस्तलिखित नहीं है। इन दोनों से ही जिला रसद अधिकारी रेस्पोण्डेण्ट की उचित मूल्य दुकानदार विक्रम गुर्जर से साजिश को स्पष्ट करता है। पत्र अध्यक्ष द्वारा अपने बयान में सचिव हाकिमसिंह की कोई शिकायत करना नहीं बताया है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बाबत् कोई जांच नहीं की गई है और जो जी.एस.एस. के अवधिपार ऋणधारी हैं उनके बयान साजिशी तौर पर लिये जाकर जैर अपील निर्णय पारित किया गया है जो विधि विरुद्ध है और निरस्त किये जाने योग्य है। डीलर विक्रम ग्राम पंचायत तुलसीपुरा 1/6 भाग का है जो टीकेतपुरा का है जिसने अपने हस्तलेख से फर्जी इस्तीफा लिखकर पेश किया है जिस पर व्यवस्थापक व अध्यक्ष के फर्जी हस्ताक्षर किये है। इसके बाद पुनः जिला रसद अधिकारी कार्यालय में फर्जी शिकायत पत्र दिनांक 15.02.16 अध्यक्ष टीकेतपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति टीकेतपुरा करौली की ओर से प्रस्तुत किया है। इस्तीफा दिनांक 23.04.13 पर पूर्व सचिव नरेश पाठक के हस्ताक्षर विक्रम डीलर ने फर्जी किये हैं। ऐसी स्थिति में जैर अपील निर्णय साजिशी है और निरस्त किये जाने योग्य है। सदस्य ग्राम सेवा सहकारी समिति बतास्या व मुंशी डीलर विक्रम गुर्जर के सगे चाचा हैं एवं मुंशी, बतास्या, अतरबाई, विजयसिंह पर समिति का अवधिपार ऋण बकाया है जिससे बचने के लिए एवं समिति द्वारा ऋण चुकाने की कार्यवाही करने पर यह गलत बयान समिति की साख को खराब कर विक्रम डीलर को

जिला कलक्टर
करौली

अनुचित लाभ पहुंचाने व समिति की आय स्त्रोत को नष्ट करने के उद्देश्य से झूंठे दिये हैं। ऐसी स्थिति में जैर अपील निर्णय साजिशी होना स्पष्ट है और निरस्त किये जाने योग्य है। निर्णय दिनांक 12.08.16 की रेस्पोण्डेण्ट द्वारा अपीलाण्ट को कोई सूचना नहीं दी गयी है बल्कि दिनांक 24.10.16 को सचिव अपीलाण्ट हाकिमसिंह द्वारा प्रकरण में कार्यवाही की जानकारी रेस्पोण्डेण्ट से करने पर रेस्पोण्डेण्ट द्वारा प्रकरण का निस्तारण निर्णय दिनांक 12.08.16 को कर देने की कहने पर अपीलाण्ट द्वारा उसी दिन नकल निर्णय दिनांक 12. 08.16 का आवेदन करने पर दिनांक 18.11.16 को नकल निर्णय प्राप्त होने पर निर्णय दिनांक 12.08.16 की जानकारी हुई है। इससे पूर्व अपीलाण्ट को जैर अपील निर्णय दिनांक 12.08.16 की जानकारी नहीं रही है। दिनांक 12.08.16 से 24.10.16 तक का समय जानकारी के अभाव में कण्डौन किये जाने योग्य है जिसके लिए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अपील के साथ प्रस्तुत है। जानकारी दिवस व नकल में लगे समय को मुजरा करते हुए अपील अपीलाण्ट अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोण्डेण्ट की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर शाामिल पत्रावली की गई।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट ने अपील में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलाण्ट उक्त आदेश 1976 के अनुसार ग्राम पंचायत तुलसीपुरा तहसील करौली के 1 / 3 भाग के उचित मूल्य दुकानदार के लाईसेन्सधारी है। अपीलाण्ट के हक में लाईसेन्स संख्या 304 तहसील करौली वर्ष 2007 से चला आ रहा है। प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2 का उल्लंघन नहीं किया गया है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट के प्राधिकार पत्र की जमाशुदा प्रतिभूति राशि में से दण्ड स्वरूप 100 / – रुपये जब्त करने का आदेश दिया है। अपीलाण्ट द्वारा इस्तीफा नहीं दिया गया है बल्कि इस्तीफा समिति के पूर्व सचिव नरेश पाठक द्वारा दिनांक 25.04.13 को दिया गया है जबकि दिनांक 17.04.13 को ही पूर्व सचिव नरेश पाठक द्वारा सचिव हाकिमसिंह हो संभलवा दिया गया था। साक्ष्य के रुप में चार्ज लिस्ट व समिति के प्रस्ताव रजिस्टर की प्रति पेश की है। दिनांक 25.04.2013 को नरेश पाठक को उक्त प्राधिकार पत्र के संबंध में इस्तीफा पेश करने का अधिकार नहीं था एवं रेस्पोण्डेण्ट द्वारा इस बाबत् अपीलाण्ट को कोई सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का उचित अवसर दिया है। नरेश पाठक ने अपीलाण्ट संख्या 1 से धोखे से वेतन लेने के लिए खाली लेटर पेड लेकर फर्जकारी कर अपीलाण्ट से छिपाते हुए यह इस्तीफा कपटपूर्ण से समिति की साख खराब करने व समिति को क्षति पहुँचाने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया है। अपीलाण्ट धरोहर राशि 100 / –रुपये राशि जमा कराने को तैयार है। दिनांक 15.02.2016 को कोई पत्र अध्यक्ष समिति अपीलाण्ट नंबर 1 द्वारा रसद अधिकारी करौली को नहीं दिया गया है एवं दिनांक 22.04.13 को या 23.04.2013 को भी कोई इस्तीफा नहीं दिया गया। उक्त दोनों पत्र फर्जी है एवं दिनांक 23.04.13 का दर्जशुदा पत्र अध्यक्ष व सचिव के फर्जी

जिला कलक्टर
करौली

हस्ताक्षर कर फर्जकारी कर प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जानबूझकर नरेश पाठक व अध्यक्ष केदार के बयान नहीं लिये गये हैं ना ही हस्ताक्षरों की जांच की गयी है। पत्र दिनांक 23.04.13 जो दिनांक 22.04.13 का मार्क है एवं पत्र दिनांक 12.02.2016 जो दिनांक 15.02.2016 का मार्क है, एक ही व्यक्ति का कलमी है जो अध्यक्ष केदार व सचिव नरेश पाठक या हाकिमसिंह का हस्तलिखित नहीं है। इन दोनों से ही जिला रसद अधिकारी रेस्पोण्डेण्ट की उचित मूल्य दुकानदार विक्रम गुर्जर से साजिश को स्पष्ट करता है। जो जी.एस.एस. के अवधिपार ऋणधारी हैं उनके बयान साजिशी तौर पर लिये जाकर जैर अपील निर्णय पारित किया गया है। डीलर विक्रम ग्राम पंचायत तुलसीपुरा 1/6 भाग का है जो टीकेतपुरा का है जिसने अपने हस्तलेख से फर्जी इस्तीफा लिखकर पेश किया है जिस पर व्यवस्थापक व अध्यक्ष के फर्जी हस्ताक्षर किये है। इस्तीफा दिनांक 23.04.13 पर पूर्व सचिव नरेश पाठक के हस्ताक्षर विक्रम डीलर ने फर्जी किये हैं। सदस्य ग्राम सेवा सहकारी समिति बतास्या व मुंशी डीलर विक्रम गुर्जर के सगे चाचा हैं एवं मुंशी, बतास्या, अतरबाई, विजयसिंह पर समिति का अवधिपार ऋण बकाया है जिससे बचने के लिए एवं समिति द्वारा ऋण चुकाने की कार्यवाही करने पर यह गलत बयान समिति की साख को खराब कर विक्रम डीलर को अनुचित लाभ पहुंचाने व समिति की आय स्त्रोत को नष्ट करने के उद्देश्य से झूंठे दिये हैं। ऐसी स्थिति में जैर अपील निर्णय साजिशी होना स्पष्ट है और पत्रावली पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किये जाने योग्य है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

जिला रसद अधिकारी का बहस में कथन है कि प्रकरण में प्रवर्तन निरीक्षक करौली से जांच करवाई गई थी जिसमें समिति के व्यवस्थापक द्वारा उचित मूल्य दुकान का कार्य करने का तथ्य अंकित किया गया था परंतु समिति के अन्य सदस्यों श्री बतास्या, श्री मुंशीराम एवं अतरबाई तथा समिति के उपाध्यक्ष श्री विजयसिंह जाटव ने अपने बयानों में बताया कि समिति द्वारा पूर्व में दिया गया इस्तीफा सर्वसम्मति से दिया जाना कार्य करने के पर्याप्त संसाधनों का अभाव होना, सचिव हाकिमसिंह का रवैया मनमाना होना बताया था। अध्यक्ष केदार ने अपने बयानों में बताया था कि उन्होंने सचिव हाकिमसिंह की कोई शिकायत नहीं की थी तथा समिति को अगर पी.डी.एस. का काम दिया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। समिति के वर्तमान सचिव को नोटिस दिया गया था जिस पर उसके स्वयं के हस्ताक्षर हैं। इस प्रकार स्वेच्छा से इस्तीफा दिये जाने एवं समिति की कार्यकारिणी में उचित मूल्य दुकान के कार्य करने के संबंध में आपसी विरोधाभास होने के कारण समिति द्वारा प्रस्तुत इस्तीफा को स्वीकार करने के निर्णय दिनांक 06.06.13 को यथावत् रखा गया था। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का कथन किया है।

बहस उभयपक्ष एवं पत्रावली का अवलोकन कर मनन किया गया। जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा पत्रांक रसद/2015–16/3623 दिनांक 19.02.2016 को पूर्व सचिव नरेश पाठक को दिये गये नोटिस की तामीली प्रति पर श्री नरेश पाठक ने अंकित किया है कि उसके द्वारा समिति का कोई लैटर पेड नहीं दिया गया है और दिनांक 17.04.13 को वह चार्ज हाकिमसिंह को सम्हला दिया गया था। नरेश पाठक के नाम से दिनांक

जिला कलक्टर
करौली

25.04.13 को इस्तीफा दिया गया है जबकि वह दिनांक 17.04.13 को ही चार्ज हाकिमसिंह को संभलवा चुका था। उचित मूल्य दुकान का कार्य करने के संबंध में विरोधाभास है। अतः प्रकरण को रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण जिला रसद अधिकारी करौली को रिमाण्ड कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में पुनः जांच करके गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2018 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(अभिमन्यु कुमार)
जिला कलक्टर
करौली